



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 20 जुलाई, 2020
आषाढ़ 29, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 839/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र०जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(129)-2020
लखनऊ, 20 जुलाई, 2020

शुद्धि-पत्र

प०आ०-165

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या क०नि०-2-806/ग्यारह-9(42)-17-उ०प्र०जी०एस०टी० नियम-2017-आदेश(125)-2018 दिनांक 15 मई, 2018 में-

हिन्दी पाठ में,-

(क) नियम 97 में, उपनियम (3) में, शब्द "केन्द्रीय" के स्थान पर शब्द "राज्य" पढ़ा जाये।

अंग्रेजी पाठ में,-

(a) In rule 97, in sub-rule (3), at the place of word "Central" read word "State".

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।